

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री मदन लाल बारोलिया व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि आंटोली-मालपुरा-टोंक जिनकी जन्म तिथि:- 02.07.1967 ने दिनांक 01.02.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 31.07.2022 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री मदन लाल बारोलिया व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि आंटोली-मालपुरा-टोंक को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 31.07.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री मदन लाल बारोलिया के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Rajasthan Education Department



(गौरव अग्रवाल)

आई ए एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 30/05/2022

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2022/169

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निदेशक को प्रेषित -


1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा सत्यमेव जयते
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाईट पर अपलोड हेतु
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1698/01-02 डीपीसी 2014-15 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि आंटोली-मालपुरा-टोंक
7. श्री मदन लाल बारोलिया व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि आंटोली-मालपुरा-टोंक
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री नरसीराम सौलकी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि धानोल-रानीवाडा-जालोर जिनकी जन्म तिथि:- 25.12.1967 ने दिनांक 01.04.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 02.07.2022 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री नरसीराम सौलकी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि धानोल-रानीवाडा-जालोर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 02.07.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री नरसीराम सौलकी के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Rajasthan Education Department



(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 30/05/2022

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018/110

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए निम्नलिखित अंगणित -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर सत्यमेव जयते
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 1135-2/11-12 डीपीसी 2018-19 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि धानोल-रानीवाडा-जालोर
7. श्री नरसीराम सौलकी व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि धानोल-रानीवाडा-जालोर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत सुश्री पुष्पा यादव व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि बाम्बोली, रामगढ-अलवर जिनकी जन्म तिथि:- 09.02.1966 ने दिनांक 09.04.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 01.08.2022 से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः सुश्री पुष्पा यादव व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि बाम्बोली, रामगढ-अलवर को राजस्थान सिविल सेवा (पेशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 01.08.2022 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित सुश्री पुष्पा यादव के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।



(गौरव अग्रवाल)

आई ए एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक- 30/05/2022

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2022/107

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रणीत -

1. निदेशक, पेशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
3. संबधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/संयुक्त निदेशक, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 407-1/90-92 डीपीसी 2011-12 के विलोपन की कार्यवाही के संबध में।
6. प्रधानाचार्य, राउमावि बाम्बोली, रामगढ-अलवर
7. सुश्री पुष्पा यादव व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राउमावि बाम्बोली, रामगढ-अलवर
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर



क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

दिनांक-

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत श्री शिवनन्दन शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि श्रीपुरा, कोटा शहर - कोटा जिनकी जन्म तिथि:- 11.08.1963 ने दिनांक 05.04.2022 को आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 11.07.2022 से स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति चाही है।

अतः श्री शिवनन्दन शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि श्रीपुरा, कोटा शहर - कोटा को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 50(1) के प्रावधानान्तर्गत दिनांक 11.07.2022 से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री शिवनन्दन शर्मा के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-18 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

Rajasthan Education Department



(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक- 30/05/2022

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्वै0सेवा/2018

प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित पर प्रेषित -

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा सत्यमेव जयते
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मा.शि.
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेत
5. अनुभाग अधिकारी एबी/वरिष्ठता/डीपीसी अनुभाग को कार्मिक के वरिष्ठता क्रमांक 572-1/07-08 डीपीसी 2017-18 के विलोपन की कार्यवाही के संबंध में।
6. प्रधानाचार्य, राबाउमावि श्रीपुरा, कोटा शहर - कोटा
7. श्री शिवनन्दन शर्मा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी, राबाउमावि श्रीपुरा, कोटा शहर - कोटा
8. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर